भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 891

दिनांक 28 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन

891. श्री राघव चड्ढ़ा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश भर में, विशेष रूप से जल संकट से ग्रस्त क्षेत्रों में, जल उपलब्धता बढ़ाने और भूजल पुनर्भरण के लिए जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार किस प्रकार घरों, संस्थानों और उद्योगों द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन और समर्थन दे रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जल संरक्षण के महत्व के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने और जल उपयोग के तरीकों में व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): 'जल' एक राज्य का विषय होने के कारण, जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए कार्य, मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं। तथापि, केंद्र सरकार जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित, देश भर में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाती है, जिससे जल उपलब्धता बढ़ाई जा सके और भूजल का पुनर्भरण किया जा सके। इस संबंध में, प्रमुख पहलों में 'जल शक्ति अभियान - कैच द रेन' (जेएसए: सीटीआर) अभियान; अटल भूजल योजना (अटल जल); महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा); प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई); अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत); एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल); मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016; शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई), दिशानिर्देश; 2014 आदि शामिल हैं।

जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2019 में देश के 256 जल की कमी वाले जिलों में समयबद्ध, मिशन-मोड जल संरक्षण अभियान के रूप में जल शक्ति अभियान (जेएसए) शुरू किया। माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2021 में "कैच द रेन - व्हेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स" टैगलाइन के साथ "जल शक्ति अभियान: कैच द रेन" (जेएसए: सीटीआर) का शुभारंभ किया। देश भर के सभी जिलों, ब्लॉकों और नगर पालिकाओं को शामिल करने के लिए अभियान का विस्तार किया गया था। इस अभियान के केंद्रित कार्यकलापों में (1) जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन; (2) सभी जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची बनाना; इसके आधार पर जल संरक्षण के लिए वैज्ञानिक योजना तैयार करना; (3) सभी जिलों में जल शक्ति केंद्रों की स्थापना; (4) सघन वनीकरण और (5) जागरूकता पैदा करना शामिल है। जेएसए: सीटीआर का छठा संस्करण 22 मार्च 2025 को “जल संचय जन भागीदारी: जन जागरूकता की ओर” थीम के साथ शुरू किया गया था, जिसमें सीजीडब्ल्यूबी द्वारा चयनित 148 जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए जमीनी स्तर पर गहन जुड़ाव, अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण और नए वित्तपोषण तंत्र पर जोर दिया गया था।

तथापि जेएसए:सीटीआर अभियान को देश भर में लागू किया गया है, जिसके प्रत्येक संस्करण में इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 से एक लक्षित फोकस को शामिल किया है। जेएसए:सीटीआर 2023, जिसका विषय "पेयजल के लिए स्रोत स्थिरता" था, जल जीवन मिशन द्वारा चिन्हित 150 विशेष ध्यान वाले जिलों को प्राथमिकता दी गई। जेएसए:सीटीआर 2024 अभियान, जिसका विषय "नारी शक्ति से जल शक्ति" था, को केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा चिन्हित 151 जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए पूरे देश में चलाया गया।

जल शक्ति अभियान: कैच द रेन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, संतृप्त मोड में लागत प्रभावी वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करने हेतु सामुदायिक भागीदारी में वृद्धि पर बल देते हुए 6 सितंबर 2024 को गुजरात राज्य के सूरत में जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान के तहत "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल, का शुभारंभ किया गया। वर्षा जल संचयन, भूजल स्तर में वृद्धि और जल संबंधी मुद्दों के स्थानीयकृत समाधान प्रदान करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए बोरवेल, रिचार्ज शाफ्ट, रिचार्ज पिट जैसे लागत प्रभावी संरचनाओ का निर्माण करने के लिए सामुदायिक धन, व्यक्तिगत दान, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व निधि आदि का उपयोग करते हुए गुजरात में जल संचय कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने देश के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (नैक्यूम) परियोजना को पूरा किया, जिसमें देश के जल की कमी वाले क्षेत्र भी शामिल हैं। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण हेतु एक मास्टर प्लान - 2020 भी तैयार किया गया। यह वृहद-स्तरीय योजना, जल की कमी वाले क्षेत्रों सहित देश भर की विभिन्न भू-स्थितियों के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार की पुनर्भरण संरचनाओं की पहचान करती है।

(ख): 'जल' राज्य का विषय है और केंद्र सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को संपूरित करती है। जल संरक्षण सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रयासों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निगमों (एमसी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को पुरस्कृत करने के लिए एक प्रोत्साहन तंत्र विकसित किया गया है। यह तंत्र मापनीय संकेतकों पर आधारित है और शहरी क्षेत्रों में समान प्रतिस्पर्धा और संतुलित प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। शहर और कस्बे स्तर पर सफल मॉडलों और प्रथाओं को मान्यता देकर, एमओएचयूए का उद्देश्य शहरी हितधारकों को जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय जनभागीदारी पहल में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने जल संचय जन भागीदारी (जेएसजेबी) अभियान के अंतर्गत एक समान प्रोत्साहन तंत्र विकसित किया है, ताकि मापनीय संकेतकों के आधार पर संतुलित प्रतिनिधित्व के लिए, क्षेत्रों में जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन में जिला स्तर के उल्लेखनीय प्रदर्शन को मान्यता और बढ़ावा दिया जा सके। यह जेएसजेबी के प्रोत्साहन तंत्र में औद्योगिक संघों / सिविल सोसाइटियों के संगठनों, परोपकारी योगदान द्वारा उनकी पहलों की सार्वजनिक मान्यता के माध्यम से उल्लेखनीय प्रयासों को भी प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहन निधि विशेष रूप से जल संरक्षण संरचनाओं, जागरूकता गतिविधियों और हितधारकों की क्षमता निर्माण के लिए निर्धारित की गई है।

इसी प्रकार, कई राज्यों और अर्ध-सरकारी निकायों ने जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन उपायों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की हैं। वेब पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली जल बोर्ड वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रणाली स्थापित करने की लागत का 50% वित्तीय सहायता प्रदान करके कवर करता है, जो अधिकतम 50,000 रुपये तक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, क्रियाशील आरडब्ल्यूएच प्रणाली वाले उपभोक्ताओं को अपने जल के बिलों पर 10% छूट मिलता है। कर्नाटक में, अपने परिसर में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने वाले नए और मौजूदा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को एकमुश्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में स्थायी जल प्रबंधन को बढ़ावा मिलता है। इसी प्रकार, ओडिशा सरकार ने 'छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक उपयोग और संचयन (छता)' योजना शुरू की, इसके तहत भवन स्वामियों द्वारा छत पर वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए किए गए निवेश लागत का 50%, अधिकतम 55,000 रुपये तक, सब्सिडी के रूप में सीधे लाभार्थी के सक्रिय बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है। ये पहल वित्तीय और नीतिगत सहायता तंत्र के माध्यम से जल संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दर्शाती हैं।

(ग): चूंकि 'जल' राज्य का विषय है, इसलिए जन जागरूकता सृजन सहित जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों, जिलों और स्थानीय निकायों की है।

तथापि, भारत सरकार ने जल संरक्षण के महत्व के प्रति जनता को जागरूक करने और जल उपयोग के तरीकों में व्यवहारिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) सहित कई पहल की हैं। जागरूकता सृजन, जेएसए: सीटीआर अभियान के पाँच प्रमुख प्रयासों में से एक है, जिसका उद्देश्य जल संबंधी चुनौतियों और संरक्षण के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और जल संरक्षण को एक जन आंदोलन में बदलने पर ज़ोर देना है।

जन भागीदारी को और अधिक प्रबल बनाने के लिए, 6 सितंबर 2024 को सूरत, गुजरात में "जल संचय जन भागीदारी" (जेएसजेबी) पहल शुरू की गई। यह पहल समग्र समाज और समग्र सरकार के दृष्टिकोण के अंतर्गत कम लागत वाले, स्थानीय रूप से उपयुक्त जल संरक्षण समाधानों को लागू करने के लिए समुदायों, सिविल सोसाइटी और स्थानीय सरकारों द्वारा सामूहिक कार्रवाई को प्रोत्साहित करती है।

राष्ट्रीय जल मिशन के लक्ष्यों में से एक, अर्थात जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाने के लिए, अक्टूबर 2022 को सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में जल के कुशल उपयोग हेतु जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूई) की स्थापना की गई। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने अटल भूजल योजना (एबीबाई) और स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम (एसएफएसी) के सहयोग से 7 राज्यों में किसानों के लिए 14 सही फसल अभियान चलाए। जल उपयोग दक्षता ब्यूरो ने घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों में कई राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाओं का भी आयोजन किया।

राष्ट्रीय जल मिशन ने 18-19 फ़रवरी, 2025 को उदयपुर, राजस्थान में जल विजन@2047- द वे फॉरवर्ड विषय पर दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन ने सृजनात्मक संवाद में शामिल होने और हमारे देश के जल-सुरक्षित भविष्य को आकार देने में मदद करने हेतु बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया। चर्चाएं एकीकृत और सतत जल प्रबंधन प्रथाओं और जल विज़न@2047 के साझा उद्देश्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित रहीं।

आउटरीच को और बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) ने युवा कार्य विभाग के साथ सहयोग किया, और जेएसए: सीटीआर के तहत जल संरक्षण प्रयासों में जमीनी स्तर पर भागीदारी बढ़ाने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस) और उसके युवा क्लबों के नेटवर्क का लाभ उठाया।

जेएसए: सीटीआर के एक भाग के रूप में, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। ये केंद्र संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, जल-संबंधी मुद्दों पर जानकारी प्रदान करते हैं, बेहत्तर प्रथाओं का

प्रदर्शन करते हैं, तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, और जल संरक्षण रणनीतियों के लिए स्थानीय केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।

"जिला मजिस्ट्रेटों के साथ वार्ता" नामक ऑनलाइन जनसंपर्क संवाद भी आयोजित किए गए हैं, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त जल संरक्षण से संबंधित अपने क्षेत्र-स्तरीय नवाचारों और अनुभवों को साझा करते हैं, पारस्परिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, सफल प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं और जागरूक करते हैं। अब तक राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा लगभग 48 डीएम वार्ता आयोजित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार, जल वार्ता, जल से संबंधित मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के लिए जल क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियों के साथ ऑनलाइन जनसंपर्क वार्ता है। अब तक राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा 60 जल वार्ताएं आयोजित की जा चुकी हैं। शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से, राज्यों से छात्रों के लिए जल चैंपियन के रूप में जल दूत योजना को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है।

इसके अतिरिक्त, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण पर महत्वपूर्ण संदेशों के प्रसार हेतु नियमित रूप से सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। विभाग सूचनात्मक सामग्री साझा करने और इस क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को उजागर करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करता है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय ने जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार शुरू किए हैं। ये पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ ज़िला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ उद्योग आदि सहित कई श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के सफल मॉडलों पर प्रकाश डालना और उनका सम्मान करना तथा ऐसे प्रयासों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है।

इन संयुक्त प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों में निरंतर जागरूकता बढ़ाना और जल-उपयोग के संबंध में ज़िम्मेदार व्यवहार को प्रोत्साहित करना है।

*****